

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 271/2025**

IN THE MATTER OF:

SHIVENDRA SINGH

..... APPLICANT

Versus

UTTAR PRADESH POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS

.....RESPONDENT(s)

INDEX

| S. NO. | PARTICULARS | PAGE NO. |
|-------------------|--|-----------------|
| 1. | Additional Affidavit of District Magistrate Kushinagar in compliance of order dated 22.12.2025 passed by this Hon'ble Tribunal | |
| 2. | <u>Annexure No. 1: -</u> A copy of the Letter submitted by the Brick Kiln owners. | |
| 3. | <u>Annexure No. 2 (Colly.): -</u> A copy of the minutes of the meetings and paper cutting dated 28.09.2025 | |
| 4. | <u>Annexure No. 3: -</u> A copy of Written Consent. | |
| 5. | <u>Annexure No. 4: -</u> A copy of the Letter dated 07.03.2026 | |
| 6. | <u>Annexure No. 5 (Colly.): -</u> | |

| | | |
|----|--|--|
| | A copy of the Letters dated 09.03.2026 given to the Respondent Nos. 9 to 14 | |
| 7. | <u>Annexure No. 6 (Colly.): -</u> Copies of the Spot Memo prepared by the Joint Inspection Committee of all the 6 Brick Kilns | |
| 8. | <u>Annexure No. 7(Colly.): -</u> A copy of the orders affixed by the Mining Officer, District Kushinagar along with relevant photographs | |
| 9. | <u>Annexure No. 8 (Colly.): -</u> A copy of the Letters sent by the Office of the Deponent to the concerned Police Stations | |

DATED: 17.03.2026

Ankit Verma

FILED THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB :- 09990804440 [Email-ankit.scngtup@gmail.com](mailto:ankit.scngtup@gmail.com)




INDIA NON JUDICIAL
263
Government of Uttar Pradesh



fakesh kumar fai

e-Stamp

| | |
|---------------------------|--|
| Certificate No. | : IN-UP57811837986892Y |
| Certificate Issued Date | : 16-Mar-2026 05:16 PM |
| Account Reference | : NEWIMPACC (SV)/ up14298904/ PADRAUNA SADAR/ UP-KSN |
| Unique Doc. Reference | : SUBIN-UPUP1429890410957890879444Y |
| Purchased by | : MAHENDRA SINGH TAWAR SO SRI OM PRAKASH SINGH TAWAR |
| Description of Document | : Article 4 Affidavit |
| Property Description | : Not Applicable |
| Consideration Price (Rs.) | : |
| First Party | : MAHENDRA SINGH TAWAR SO SRI OM PRAKASH SINGH TAWAR |
| Second Party | : Not Applicable |
| Stamp Duty Paid By | : MAHENDRA SINGH TAWAR SO SRI OM PRAKASH SINGH TAWAR |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : 10 (Ten only) |



*Mahendra Singh Tawar
Campus-Padrauna
KUSHINAGAR*

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN ORIGINAL APPLICATION NO. 271/2025

IN THE MATTER OF:

| | |
|---|--------------------|
| SHIVENDRA SINGH | APPLICANT |
| Versus | |
| UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD & ORS |RESPONDENT(s) |

ADDITIONAL AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE KUSHINAGAR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 22.12.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 2 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

AFFIDAVIT of Mahender Singh Tawar, aged about 37 years, son of Shri Om Prakash Singh Tawar, presently posted as District Magistrate, Kushinagar. Religion Hindu, Occupation Service.

(DEPONENT)

*Identified the LTI & Signature of Mahendra Singh Tawar DM Kushinagar
16.3.2026
Benceline*

Statutory Alert
1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.nctary.gov.in
2. The issue of issuing this certificate is on the basis of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

264
**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 271/2025

IN THE MATTER OF:

SHIVENDRA SINGH

..... APPLICANT

Versus

UTTAR PRADESH POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS

.....RESPONDENT(S)

**ADDITIONAL AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE
KUSHINAGAR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED
22.12.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

The Respondent No. 2 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. Mahendra Singh Tanwar aged about 37 years, presently posted as District Magistrate -Kushinagar, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under:-

That I am the above-mentioned officer of answering Respondent No. 2 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit and that the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed there from.

3. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 22.12.2025 was pleased to issue the following directions: -

".....3. The reply affidavit dated 25.09.2025 has been filed by the respondent no.2-DM, Kushi Nagar stating that the inspection of the respondents-brick kilns was done on 09.09.2025 and they were found to be closed, it has been pointed out that when the



265

inspection was done ~~that~~ was not the operational season of the brick kilns and the operation of the brick kiln will start in the month of January. Hence, the District Magistrate, Kushi Nagar is directed to carry out the fresh inspection of the brick kilns in the month of January, 2026 and submit the status and action taken report within 08 weeks.....


6. In case where the closure order has been passed, the UPPCB will carry out the inspection in the month of January, 2026 and will ascertain if the brick kiln is complying with the closure order.

7. List on 17.03.2026."

4. That the present response is being filed in respectful compliance of the order dated 22.12.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, in this present Original Application.

5. That the Deponent herein most respectfully states that a meeting was convened by the Deponent with the representatives of the Brick Kiln Association/Union of District Kushinagar, Date 27.09.2025 which was attended by the owners/proprietors of all the concerned brick kilns. During the course of the said meeting, the brick kiln owners demanded brick kiln operation be started from the month of february to june **Annexure No. 1** and that they would not operate the brick kilns in violation of the Closure Order and the directions issued by the competent authorities A copy of minutes of the meeting and paper cutting dated 28.09.2025 is being attached as **Annexure No. 2** to this Additional Affivit .They also gave their written assurance for the same in The above mentioned meeting and meeting dated 09-10-2025 and A copy of written consent is being attached as **Annexure No.3** In view of the aforesaid assurance given by the brick kiln owners, the inspection was not undertaken in the month of January, 2026, as there was no reason at that time to believe that the said brick kilns would be operated in contravention of the orders passed by the competent authority and this Hon'ble Tribunal, hence it was conducted in the Month of March 2026.

6. That in compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal, and for the purpose of conducting a re-inspection of the sites where the 6 brick kilns (Respondent Nos. 9 to 14) are situated, the Deponent, in due discharge of his official duties, constituted a Joint Inspection Committee vide Letter No. 353 (1)/ Mining-2026, on 07.03.2026 comprising of Sub Divisional Magistrate, Padrauna, Regional Officer, UPPCB, Mining Officer,




2

[Handwritten signature]

District Kushinagar and circle officer Padrauna, so as to facilitate the inspection in a fair, transparent, and comprehensive manner. A copy of the Letter dated 07.03.2026 is being annexed as **Annexure No. 4** to this additional affidavit.

7. That it is pertinent to mention that prior to the aforesaid inspection, the Mining Officer, Kushinagar, vide office letters dated 09.03.2026, duly intimated all the brick kilns, i.e., Respondent Nos. 9 to 14 and called upon them to furnish the requisite permissions and relevant documents required for lawful operations of the brick kilns; however, despite the said communications, the Respondent Nos. 9 to 14 have failed to provide the requisite permissions/documents to the Mining Officer, Kushinagar, till date, and as such no valid authorization was produced before the authorities at the time of inspection. A copy of Letters dated 09.03.2026 given to Respondent Nos. 9 to 14 are collectively being annexed as **Annexure No. 5** to this additional affidavit.



8. That subsequently, in pursuance of the directions issued by this Hon'ble Tribunal, the Joint Inspection Committee conducted inspection of the aforesaid brick kiln sites, i.e., Respondent Nos. 9 to 14, on 12.03.2026, 13.03.2026 and 14.03.2026, and upon due verification and physical spot inspection it was found that, notwithstanding the closure order/ so cause issued by the U.P. Pollution Control Board UPPCB (Letter refrence H32505/वृत्त-6 /ईट भट्टा -869 / का0 ब0 नो0/गोरखपुर2025 dated 10-10-25 and 10/03/2026, Letter refrence H32198/वृत्त -6 /ईट भट्टा -865 /बंदी आदेश /25 dated 01-09-25, Letter refrence H63446/सी-6/सा0-632/ईटभट्टा/बंदी आदेश/कुशीनगर/ 2021 dated 15-07-21, Letter refrence H32199/वृत्त -6 /ईट भट्टा -839 / बंदी आदेश/गो0/2025 dated 01-09-25) to the said brick kilns, all the brick kilns were found to be operational at the time of inspection, thereby indicating non-compliance of the directions/so cause issued by the competent authority. Action against the said brick kilns were taken by representative of UPPCB on the inspection day in the presence of Magistrate and police who were there for inspection and for maintaing the law and order situation if any .Copies of the Spot Memo and report prepared by the Joint Inspection Committee of all the 6 Brick Kilns is collectively being annexed as **Annexure No. 6** to this additional affidavit.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

9. That immediately thereafter, the Joint Inspection Committee, in order to give effect to and ensure compliance of the Closure Order dated 01.09.2025, 10.03.2026 and 15.07.2021, proceeded to close all the aforesaid brick kilns (Respondent Nos. 9 to 14), and in furtherance thereof, closure notices were duly affixed at conspicuous places outside the premises of the said brick kilns, thereby formally directing stoppage of all operational activities therein. A copy of the orders affixed by the Mining Officer, District Kushinagar along with relevant photographs are collectively being annexed as **Annexure No. Z** to this additional affidavit.

10. That it is most respectfully submitted that during the earlier inspection conducted by the Joint Inspection Committee, it was categorically found that the said brick kilns, i.e., Respondent Nos. 9 to 14, were not operational, which fact stands duly recorded in the Inspection Report dated 09.09.2025. However, despite the Closure Order dated 01.09.2025, 10.03.2026 and 15.07.2021 having been issued by the competent authority, the said brick kilns (Respondent Nos. 9 to 14), in blatant and wilful disregard of the said Closure Order, were subsequently found to be again operating at the time of the present inspection, thereby showing deliberate and conscious violation of the directions issued by the competent authority. Such unauthorized operation, in contravention of the Closure Order dated 01.09.2025, 10.03.2026 and 15.07.2021 being wholly illegal and without any sanction.



11. That further to ensure proper compliance of the Closure Order dated 01.09.2025, 10.03.2026 and 15.07.2021 as well as orders passed by this Hon'ble Tribunal, the Deponent further will dispatch copies of the Spot Memo prepared by the Joint Inspection Committee, to the concerned Police Stations where the Brick Kilns (Respondent Nos. 9 to 14) are located, to ensure that there is no non compliance of the orders and that the Brick Kilns are not operated again illegally. A copy of the Letters sent by the Office of the Deponent to the concerned Police Stations are collectively being annexed as **Annexure No. 8** to this additional affidavit.

12. That further, the Deponent most respectfully submits before this Hon'ble Tribunal that the Deponent is duty-bound to ensure strict compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal in letter as well as in spirit. The Deponent further

[Handwritten signature]

solemnly undertakes before this Hon'ble Tribunal that all necessary steps shall be taken to ensure that the brick kilns in question do not recommence their operations illegally, and in the event any of the brick kilns are found to be operating in violation of the Closure Order or in contravention of the directions issued by the competent authority or this Hon'ble Tribunal, immediate coercive action, in accordance with law, shall be taken forthwith, including but not limited to dismantling of the said brick kilns, so as to ensure complete and effective compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal.

13. That in light of the aforementioned facts and circumstances, it is most respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal, that the instant additional affidavit filed by the District Magistrate-Kushinagar be taken on record, in the interest of justice.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at....., on that the contents of the paras 1 to of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DM
16/3/2026
Doreain

DEPONENT



*Identified the LTI & Signature of
Mahendra Singh Tawar DM Kushinagar*

*Ramesh Kumar Rai
Doreain
16/3/2026*

Serial Number 13790
Solemnly affirmed before me on 16.3.26
at Padrauna by Shri. Mahendra Singh Tawar

the deponent who is identified by Shri. R.K. Rai
I have certified myself by examining the deponent
that he/she understands the contents of this affidavit
which has been read over and explained to him

Kishore Kumar Yadav
NOTARY
Tahasil & Collectorate Campus
Padrauna-Kushinagar

उत्तर प्रदेश शासन
Government of Uttar Pradesh
Identity Card Sr. No. 303
Group (A)



Name : MAHENDER SINGH TAWAR

Batch : 2015

Cadre : IAS

Card Issue Date : 28.10.2016

Validity Date : 30.06.2048

मुख्य सचिव अफिसरी
उत्तर प्रदेश शासन

प्रयोगार्थ

मा० न्यायालय

निवास : 307, F.I. GANGASAGAR APARTMENT, NARHI,
LUCKNOW

रक्त समूह : O+ मो. 9628600008, 8953587881

आपात दूरभाष : 0522-2238308

कटौत रूप नियम

1. यह पहचान पत्र अहस्ताक्षरणीय है। तथा सचिवालय में प्रवेश करते समय अधिकारियों को हाथ मांग करने पर इसे दिखाना आवश्यक है।
2. पहचान पत्र खोने या चोरी या नष्ट होने की स्थिति में मुख्य विद्योपान अफिसर को तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए।
3. दोगुनीपुन अथवा पद त्याग या मान्य अवधि समाप्त होने पर इसे मुख्य विद्योपान कार्यालय को वापस करना अनिवार्य है।
4. आपात स्थिति में उपरोक्त दूरभाष सं. पर सूचित किया जाना चाहिए।



P

पडरौना जनपद ईट निर्माता समिति

रामकोला रोड, निकट वस स्टेशन, पडरौना

जनपद-कुशीनगर

पत्रांक

प० न० ६० नि० २०

दिनांक

Annexure NO. 1

सेवा में,

आदरणीय जिलाधिकारी महोदय,

जनपद-कुशीनगर (उ०प्र०)

विषय- ईट भट्टों के फुँकाई के सत्र को 1 फरवरी से 30 जून करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद कुशीनगर में लगभग 250 भट्टे संचालित है। शीतकालीन के समय वायु में गुणवत्ता का स्तर काफी अधिक मात्रा में खराब स्थिति में पहुँच जाता है, जिसके कारण देश के एन०सी०आर० क्षेत्र में ईट भट्टों की फुँकाई का सत्र 1 मार्च से 30 जून तक एन०जी०टी० द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। शीतकालीन के समय बढ़ते हुए वायु प्रदुषण स्तर को देखते हुए जनपद कुशीनगर के अधिकांश ईट भट्टा स्वामियों ने जनमानस के हित में ईट भट्टों की फुँकाई सत्र को 1 फरवरी से 30 जून तक करवाने का अनुरोध किया है। इससे हम सभी भट्टा स्वामी सहमत है, और सहमती पत्र भी दिया है, लेकिन कुछ भट्टा स्वामी व्यवस्था में रुकावट पैदा करते है।

अतः पडरौना जनपद ईट निर्माता समिति, जनपद कुशीनगर आपसे निवेदन करता है कि जनपद-कुशीनगर के ईट भट्टों की फुँकाई का सत्र 1 फरवरी से 30 जून तक करवान की कृपा करे।



गोरखपुर व लखनऊ में 1 फरवरी का फुकाई का अनुपालन पिछले वर्षों से होता आ रहा है।

Handwritten signature and date: 28/1/24, Kishor Kumar Yadav, Tahasil & Collection Officer, Kushinagar.

जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर की अध्यक्षता में ईट भट्टों के संचालन के संबंध में बैठक दिनांक-27.09.2025 की कार्यवृत्ति:-

जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर की अध्यक्षता में दिनांक-27.09.2025 को ईट भट्टों के संबंध में बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गयी है। जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण बैठक में उपस्थित रहे।

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी खनन, कुशीनगर।
3. जिला खान अधिकारी, कुशीनगर।

सर्वप्रथम जिला भट्टा संचालक संघ के महामंत्री श्री बिरेन्द्र पाण्डेय द्वारा बैठक में जनमानस के हित में ईट भट्टों की फुकाई सत्र को 01 फरवरी, 2026 से 30 जून 2026 तक करवाने का अनुरोध के क्रम में चर्चा की गयी।

भट्टा संचालक विजय यादव, दिनेश सिंह, अजमुल्लाह अंसारी व अन्य 31 भट्टा संचालको द्वारा भी भट्टा सत्र 01 फरवरी, 2026 से 30 जून, 2026 तक फुकाई करने का सहमति दी गयी। ईट भट्टा संचालको द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि बिना सक्षम स्तर के अनुमति के उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन, जिला पंचायत एवं राज्य कर से अनुमति प्राप्त किये भट्टा संचालन नहीं किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-1/1103294/2025 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ, दिनांक 26.09.2024 के क्रम में ईट भट्टा सत्र 2025-26 (01.10.2025 से 30.09.2026 तक) के लिए अग्रिम विनियमन शुल्क (Regulation Fees) एवं अन्य देय धनराशि उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-21(2) के अनुसार ईट-भट्टा संचालको से पायो के आधार पर दिनांक-30.11.2025 तक जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया।

(अपेक्षित कार्यवाही: खान अधिकारी कुशीनगर)

इसी के साथ ईट भट्टों की बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

खान अधिकारी
कुशीनगर।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
कुशीनगर।

जिलाधिकारी
कुशीनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) कुशीनगर।

पत्रांक: 2410/खनन/कार्यवृत्ति-2025

दिनांक: 28-9-25

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) कुशीनगर।
2. खान अधिकारी, कुशीनगर।
3. अध्यक्ष/महामंत्री, भट्टा संघ जनपद कुशीनगर।

जिलाधिकारी
कुशीनगर।

हुए 34 जोड़े

संग अधिकारियों ने दिया आशीर्वाद



अधिकारियों ने आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया।

ढोकर के एग्रन में दरार, मरम्मत कार्य में तेजी

सखद सूत्र एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

• नेपाल में वर्षा ऋतु में ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

• ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।



ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अशांतों को प्रभावित होगा। अधिकारियों का कहना है कि ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अगर अपने वाले टिन्ट में नदरवाही नदी के जलस्तर पर डिस्टॉर्ट टेंशन। ढोकर व बांध की क्षमता बढ़ा दी जायेगी। ढोकर व बांध की क्षमता बढ़ा दी जायेगी। ढोकर व बांध की क्षमता बढ़ा दी जायेगी। ढोकर व बांध की क्षमता बढ़ा दी जायेगी।

पोखरा से अतिक्रमण हटाने के लिए अनशन की चेतावनी



विपक्ष जनरल के पोखरा जल-संयोजन में 500 को संबोधित करते विधायक के प्रवेश पर अतिक्रमण हटाने के लिए अनशन की चेतावनी दी जा रही है।

सखद सूत्र, नेतृत्वा नीतिवादी विद्युत् विभाग के विभागाध्यक्षों ने कहा कि ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

शुभ किया जाएगा। विधायक के प्रवेश पर अतिक्रमण हटाने के लिए अनशन की चेतावनी दी जा रही है। ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एक फरवरी से 30 जून तक ही चलेंगे ईट भट्टे

जिस एजेंसी : जनगट ईट निर्माण संस्थान के नेतृत्वा नीतिवादी विद्युत् विभाग के विभागाध्यक्षों ने कहा कि ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मानव उत्थान सेवा समिति ने चलाया स्वच्छता अभियान



मानव उत्थान सेवा समिति ने चलाया स्वच्छता अभियान।

सखद सूत्र, नेतृत्वा नीतिवादी विद्युत् विभाग के विभागाध्यक्षों ने कहा कि ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ढोकर के एग्रन में दरारों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए आशीर्वाद देते हुए 34 जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सुचना

कक्षा विभाग है- 3503 Sd/1-
सुचनाएं कक्षाओं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

जलनिकासी की व्यवस्था को लेकर सांसद ने लिखा पत्र

जल, इला. नगर परिषद के उपायुक्त 24 को लिखा पत्र। नगर परिषद के उपायुक्त 24 को लिखा पत्र। नगर परिषद के उपायुक्त 24 को लिखा पत्र। नगर परिषद के उपायुक्त 24 को लिखा पत्र।

Govt. Recognized

+ पैरामेडिकल

Admission Open in all Govt of India Approved Unversity Courses

DMLT BMLT

RADIOLOGY OPTOM

DRIT/BRIT Bachelor in Optometry

0351-2203245 M. 9350447774

PARAMEDICAL INSTITUTE

जि. पु. वि. का. व. दा. भा. के. पर. प. पु. पु. पु.

जान पान के अंदर नकाब भाना है।

जिले के ईट भट्टों की जांच डीएम ने गठित की कमेटी

ईट भट्टों की कुंवाई का सत्र 1 मार्च से 30 जून तक एनबीटी द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

शेतकरी-जन के समय बढ़ते हुए खाद्य प्रदूषण स्तर को देखते हुए जनपद के अधिकांश ईट भट्टा स्थानियों ने जनमानस के हित में ईट भट्टों के कुंवाई सत्र को 01 फरवरी से 30 जून तक कराने का अनुरोध किया है। वर्तमान में जनपद में कुल ईट भट्टों के संयोजन के सम्बन्ध में कुल कितने भट्टे हैं? कुल कितने ईट भट्टे पंजीकृत हैं? कुल कितने ईट भट्टे अपंजीकृत हैं? किस कारण से ईट भट्टे पंजीकृत नहीं पाए गए हैं? इसका ईट भट्टाधार कारण, वर्तमान में सर्वसम्बन्धित सहित उपलब्ध कराने का निर्देश जांच कमेटी को दिया है।

पहरीना, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। डीएम ने ईट भट्टों की जांच के लिए गठित की है। उन्होंने यह निर्णय जनपद ईट निर्माता समिति के आग्रह पर किया है। डीएम ने 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

जनपद ईट निर्माता समिति के महासचिव श्री वीरेंद्र पाण्डेय ने जिलाधिकारी श्री श्री सिंह तंवर को प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने बताया था कि जनपद में लगभग 250 ईट भट्टे संचालित हैं। शेतकरी-जन में खाद्य गुणवत्ता का स्तर काफी अधिक मात्रा में खराब स्थिति में पहुंच जाता है, जिस कारण देश के एनबी और क्षेत्र में

NCTARY

Kshor Kumar
Tahsil & Co.
Campus-Pathan
Kushinagar
Reg. No-5983/2008

निर्देश

GOVERNMENT OF INDIA

अशोधित बिजली कटौती से नाराज उपभोक्ताओं में उबल लोगों ने उपकेंद्र पर ताला जड़कर जाम की सड़क

विद्युत, बिजली कटौत, बिजली कटौती से नाराज उपभोक्ताओं में उबल लोगों ने उपकेंद्र पर ताला जड़कर जाम की सड़क



शक्ति अंगुली में धुलने के लिए लोग भी उबलते हैं। - मंगल-सूत्र

विद्युत कटौत से नाराज उपभोक्ताओं में उबल लोगों ने उपकेंद्र पर ताला जड़कर जाम की सड़क

विद्युत कटौत से नाराज उपभोक्ताओं में उबल लोगों ने उपकेंद्र पर ताला जड़कर जाम की सड़क

मनबढ़ों ने कुकक पर चक्कर से किया हमला, घायल

कुकक पर चक्कर से किया हमला, घायल

घर में घुसे चोरों ने महिला को घायल कर छीना मंगलसूत्र

घर में घुसे चोरों ने महिला को घायल कर छीना मंगलसूत्र

खतर 30

खतर 30

नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत मामले में टीम गठित

नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत मामले में टीम गठित

टीटी अकेकर प्रतिभा को प्रधान ने वनकव

टीटी अकेकर प्रतिभा को प्रधान ने वनकव

अध्यक्ष ने दो सिपाहियों पर लगाया अमद्रता का आरोप

अध्यक्ष ने दो सिपाहियों पर लगाया अमद्रता का आरोप

स्वच्छ अभियान के तहत निरक्षरों की टीवी

स्वच्छ अभियान के तहत निरक्षरों की टीवी

युवक के अपहरण की शिकवत एएसपी से की

युवक के अपहरण की शिकवत एएसपी से की

अधिकार मामलों का नहीं हुआ निस्तरण

अधिकार मामलों का नहीं हुआ निस्तरण

जिले के ईट मंडों की जांच डीएम ने गठित की कमेटी

जिले के ईट मंडों की जांच डीएम ने गठित की कमेटी

छात्रागरी में 55 लीटर कच्ची शराब बरामद

छात्रागरी में 55 लीटर कच्ची शराब बरामद

पहली बना की आवास का ध्वस्तकरण

पहली बना की आवास का ध्वस्तकरण

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी संतकबीरनगर चैतावनी x सावधान

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी संतकबीरनगर चैतावनी x सावधान

जुस के रास्ते क किया मय निर्वारण

जुस के रास्ते क किया मय निर्वारण

राजस्थान कैंटीन शिखरियालय, शिखरियालय

राजस्थान कैंटीन शिखरियालय, शिखरियालय

शैक्षणिक पद (सचिव)

शैक्षणिक पद (सचिव)

शैक्षणिक पद (सचिव)

शैक्षणिक पद (सचिव)

घर के भीतर होने की सूचना पर पुलिस टीम

घर के भीतर होने की सूचना पर पुलिस टीम

शैक्षणिक पद (सचिव)

शैक्षणिक पद (सचिव)

शैक्षणिक पद (सचिव)

शैक्षणिक पद (सचिव)

शैक्षणिक पद (सचिव)

शैक्षणिक पद (सचिव)

Advertisement for Kshobh Kumar Yadav Talwar & Co. Chartered Accountants, featuring contact information and a list of services.

Advertisement for Rajasthyan Kanteen Shikharialaya, Shikharialaya, featuring a list of educational positions and contact details.

Large advertisement for the District Excise Officer, Sant Kabir Nagar, featuring a 'No Alcohol' sign and contact information for the office.

पुलिस का दया। भाक पर पहुंचा

तान इन क अर नकाव भाग है।

जिले के ईट भट्टों की जांच डीएम ने गठित की कमेटी

NCTARY

Kishor Kumar Yadav
Tehsildar & Collector
Campus-Padraun
Kushinagar
Reg. No-5963/2008

निर्देश

पहरीना निज मयाददाता। डीएम ने ईट भट्टों की जांच के लिए गठित की है। उन्होंने यह निर्णय जनपद ईट निर्माता समिति के आग्रह पर किया है। डीएम ने 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

जनपद ईट निर्माता समिति के महामंत्री खीरेन्द्र पाण्डेय ने जिलाधिकारी मोंटू सिंह तंवर को प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने बताया था कि जनपद में लगभग 250 ईट भट्टे संचालित हैं। शीतकाल में वायु में गुणवत्ता का स्तर काफी अधिक मात्रा में खराब स्थिति में पाया जाता है, जिस कारण देश के एनसीआर क्षेत्र में

ईट भट्टों की फुंफुई का मात्र 1 मार्च से 30 जून तक एनसीटी द्वारा निर्दिष्ट किया जा चुका है।

शीतकालीन के समय बढ़ते हुए वायु प्रदूषण स्तर को देखते हुए जनपद के अधिकारों ईट भट्टा स्थानियों ने जनसमस के हित में ईट भट्टों के फुंफुई मात्र को 01 फरवरी से 30 जून तक कम करने का अनुरोध किया है। वर्तमान में जनपद में कुल ईट भट्टों के संचालन के सम्बन्ध में कुल कितने भट्टे हैं? कुल कितने ईट भट्टे पंजीकृत हैं? कुल कितने ईट भट्टे अपंजीकृत हैं? किस कारण से ईट भट्टे पंजीकृत नहीं पाए गए हैं? इसका ईट भट्टाधार कारण, वर्तमान में सरसमादेश सहित उपलब्ध करने का निर्देश जांच कमेटी को दिया है।

जिले के ईट भट्टों की जांच डीएम ने गठित की कमेटी



पहरीना, निज सखाददाता। डीएम ने ईट भट्टों की जांच के लिए गठित की है। उन्होंने यह निर्णय जनपद ईट निर्माता समिति के आग्रह पर किया है। डीएम ने 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

जनपद ईट निर्माता समिति के महासचिवी वीरेंद्र पाण्डेय ने जिलाधिकारी वीरेंद्र सिंह तखर को प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने बताया था कि जनपद में लगभग 250 ईट भट्टे संचालित हैं। शीतकाल में खासु में गुणवत्ता का स्तर काफी अधिक मात्रा में खुराक स्थिति में पहुंच जाता है, जिस कारण देश के एनसीओ और क्षेत्र में

ईट भट्टों की फुंकरई का मात्र 1 मार्च से 30 जून तक एनसीओ द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

शीतकालीन के समय बढ़ते हुए खासु प्रदूषण स्तर को देखते हुए जनपद के अधिकांश ईट भट्टा स्वामियों ने जनमानस के हित में ईट भट्टों के फुंकरई मात्र को 01 फरवरी से 30 जून तक कराने का अनुरोध किया है। वर्तमान में जनपद में कुल ईट भट्टों के संचालन के सम्बन्ध में कुल कितने भट्टे हैं? कुल कितने ईट भट्टे पंजीकृत हैं? कुल कितने ईट भट्टे अपंजीकृत हैं? किस कारण से ईट भट्टे पंजीकृत नहीं पाए गए हैं? इसका ईट भट्टाधार कारण, वर्तमान में जनमानस स्थिति उपलब्ध कराने का निर्देश जांच कमेटी को दिया है।

इस मसौदा वर्ष 2025-26 शीतकाल के दौरान

बढते हुए वायु प्रदूषण को रोकते हुए पक्के कुंभीवा, के मसौदा (खासित) जनमानस के हित में इस मसौदा की प्रकृति 01 मार्च 2026 से 30 जून 2026 तक लगे का निर्माण किया गया है - डिजिटल-09-10-25 का आभेदीन केक में उपलब्ध-मसौदा खासित एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान की गयी है।

मसौदा खासित का एडमिनिस्ट्रेशन है !

| | | | |
|----|-----------------|------------|--------------|
| 1 | मधुपुर | इसराफ | 9413827835 |
| 2 | मनोज कोषाकर | मिशनरी | 9978724105 |
| 3 | विजय पांडे | विजय | 94555 81555- |
| 4 | गुणमाल पांडे | 920 | 8948320464 |
| 5 | दिनेश सिंह | Dinesh | 7800 85577 |
| 6 | अशोक पांडे | अशोक | 96705 14747 |
| 7 | मनोज पांडे | मनोज | 9601860066 |
| 8 | अमीरुल्लाह अंगी | Amir | 7355719038 |
| 9 | मो मोहम्मद | Moham | 9524078950 |
| 10 | इकबाल अहमद | Ikbal | 9161867660 |
| 11 | अशोक कुमार | AslakKumar | 9453466677 |
| 12 | मनोज पांडे | मनोज | 7007667066 |
| 13 | मनोज पांडे | M | 9140550377 |



वित्तिय वर्ष 2025-26 मे इट मद्रा संपालका से
 विनिमय मुल्य जमा कराने लक्ष्यी कर
 दि. 09-10-2025 का उपलब्ध मद्रा (वारिमा) /
 आधिकारिकी उपलब्धि का विवरण —

| क्र० | उपस्थित व्यक्ति का नाम | मद्रा का नंबर | मात्रा नं० | दिनांक |
|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | अभिषेक सिंह | खान आधीवाली | 8887534821 | - |
| 2 | विनय कुमार (पु०) | राजपुरा (पु०) जेठ महुनी गुजरा | 9919118955 | विनय कुमार |
| 3 | आशुतोष कुमार सिंह | हुजूर किल्ला फिरोज | 8052548160 8052548160 | आशुतोष |
| 4 | साधु राम सिंह | साधुवाडीवासी | 9792417058 | साधु राम सिंह |
| 5 | मैनेश सिंह | मैनेशवाडीवासी | 9792246768 | मैनेश सिंह |
| 6 | रोहित सिंह | सिंह टाटा उद्योग | 9830835344 | रोहित कुमार सिंह |
| 7 | आनंद प्रताप सिंह | सिंह टाटा उद्योग सखवाडीवासी | 9628198043 | आनंद प्रताप सिंह |
| 8 | भूपेन्द्र सिंह | शक्ति प्रिन्स फिरोज ठाकुराडीवासी | 9839546474 | भूपेन्द्र सिंह |
| 9 | Lalwajada | मादन ईट उद्योग जावनडी | 9918685955 | Lalwajada |
| 10 | श्रीधर सिंह | श्रीधर ईट उद्योग आनंदपुर | 9839381214 | श्रीधर |
| 11 | शक्ति कुमार | शक्ति ईट उद्योग पिपराडी | 8887547421 | शक्ति कुमार |
| 12 | गोपेश कुमार | वागल शर्मा ईट कामवा. | 7007667066 | गोपेश |
| 13 | मोहम्मद | SBC माफिया ईट फिरोज | 9554078950 | Moham |
| 14 | अजीमुल्लाह अंतरी | अंतरी कर्मिल्ला | 7355719038 | अजीमुल्लाह |
| 15 | मनोज पाण्डेय | मनहाईट उद्योग | 9670514747 | मनोज |
| 16 | आशुतोष कुमार | म.प ईट उद्योग कोइलवाडीवासी | 8948320464 | आशुतोष |

आदेश

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-248/2025 अमित मद्देशिया बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य मे पारित आदेश दिनांक-21.05.2025 द्वारा जनपद के 09 ईट भट्ठे एवं ओ0ए0 संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य मे पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 द्वारा जनपद कुशीनगर के 06 ईट भट्ठो की जांच कर आख्या उपलब्ध कराई जाये कि उक्त ईट भट्ठे पर्यावरण मानको के अनुरूप चल रहे है या नही। पर्यावरण मानको के अनुरूप संचालन न पाये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उक्त ईट भट्ठो की जांच करने हेतु सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|------------|
| 1-उपजिलाधिकारी, पडरौना, कसया, हाटा, कप्तानगंज- | अध्यक्ष |
| 2-पुलिस क्षेत्राधिकारी, पडरौना, कसया | सदस्य |
| 3-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर- | सदस्य |
| 4-खान अधिकारी, कुशीनगर- | सदस्य/सचिव |

उक्त कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पडने वाले ईट भट्ठों की संयुक्त जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संयुक्त जांच आख्या तत्काल अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, कुशीनगर।

दिनांक:- 07.03.2026

संख्या-3530/खनन-2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कुशीनगर।
- 2-कमेटी के समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।



कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), कुशीनगर।

संख्या-मेमो/खनन/2025-2026

दिनांक 8 मार्च, 2026

(नोटिस)

मे० सं० - चम्पा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
 ग्राम - गंधारगरी, जेठूह दोरलापुर
 तहसील - पदौना

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 में दिये गये निर्देश के क्रम में भट्ठा संचालन सम्बन्धी समस्त अभिलेख दिनांक- 03/3/26 तक कार्यालय जिलाधिकारी (खनन विभाग) कुशीनगर में प्रस्तुत करें। यदि उक्त अभिलेख निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो यह माना जायेगा कि आपके पास उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं है। बिना स्वयं स्तर से अनुमति अथवा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सम्पादित किये हुए भट्ठा का संचालन किया जाता है एवं मा० एन०जी०टी० एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)
 खान अधिकारी,
 कुशीनगर।



कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), कुशीनगर।

दिनांक 9 मार्च 2026

संख्या-248/2025

(नोटिस)

श्री जयदेव सिंह शर्मा
व्हा. रमकुलपुर पो. चकरी कुशीनगर
त. पदरौना

श्री एन.जी.टी. नई दिल्ली में दायित्व आदेश संख्या-248/2025 अर्थात्
श्री जयदेव सिंह शर्मा व्हा. रमकुलपुर पो. चकरी कुशीनगर के विरुद्ध
दिनांक-22.12.2025 में
कार्यालय जिलाधिकारी (खनन विभाग) कुशीनगर में प्रस्तुत की। यदि उक्त अर्थात्
समय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि आपके पास उक्त अर्थात्
उपलब्ध नहीं है। बिना वकालत स्तर में अनुमति अथवा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सम्पादित
होए बिना का संचालन किया जाता है एव श्री एन.जी.टी. एवं श्री उच्च न्यायालय के
आदेशों का पालन किया जाता है तो आपके विरुद्ध सुनवाई कार्रवाई में कार्यवाही की
जावेगी।

Abhishek
8/3/26
जान अधिकारी
कुशीनगर।

जयदेव सिंह



कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), कुशीनगर।
संख्या: नेमो / खनन / 2025-2026

दिनांक 8 मार्च, 2026

(नोटिस)

श्री Bhobrat Jit Vdyog
Vill - Amwan Bujurg
Post - Kuber Athan Paurana

गा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-248/2025 अमित मदेशिया बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 में दिये गये निर्देश के क्रम में भट्ठा संचालन सम्बन्धी समस्त अभिलेख दिनांक-9/2/26 तक कार्यालय जिलाधिकारी (खनन विभाग) कुशीनगर में प्रस्तुत करे। यदि उक्त अभिलेख निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो यह माना जायेगा कि आपके पास उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं है। बिना सक्षम स्तर से अनुमति अथवा रजिस्ट्रेशन की प्रकिया सम्पादित किये हुए भट्ठा का संचालन किया जाता है एवं गा० एन०जी०टी० एवं गा० उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जावेगी।

प्रमाणितिका

8/3/26
खान अधिकारी,
कुशीनगर।



कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), कुशीनगर।

संख्या: प्रेमो/खनन/2025-2026


दिनांक 8 मार्च, 2026

(नोटिस)

मे० एम० एन० एन० सी० एन० डी०
 बाम सट्टारानी कुबेरर-छान
 तः पदरोना

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 में दिये गये निर्देश के क्रम में भट्टा संचालन सम्बन्धी समस्त अभिलेख दिनांक:- 3/3/26 तक कार्यालय जिलाधिकारी (खनन विभाग) कुशीनगर में प्रस्तुत करे। यदि उक्त अभिलेख निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो यह माना जायेगा कि आपके पास उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं है। बिना सक्षम स्तर से अनुमति अथवा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सम्पादित किये हुए भट्टा का संचालन किया जाता है एवं मा० एन०जी०टी० एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

डॉ० शरणा प्रशिक्षिका
 गणेशपुरा


 8/3/26
 खान अधिकारी,
 कुशीनगर।



कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), कुशीनगर।

संख्या: मेमो / खनन / 2025-2026

दिनांक 9 मार्च, 2026

(नोटिस)

मे० श्री राम सिंह रघु रघु
 सिंगहा कुबेर रघु रघु

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 में दिये गये निर्देश के क्रम में भद्रता संचालन सम्बन्धी समस्त अभिलेख दिनांक- 10/3/26 तक कार्यालय जिलाधिकारी (खनन विभाग) कुशीनगर में प्रस्तुत करें। यदि उक्त अभिलेख निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो यह माना जायेगा कि आपके पास उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं है। बिना स्वयं स्तर से अनुमति अथवा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सम्पादित किये हुए भद्रता का संचालन किया जाता है एवं मा० एन०जी०टी० एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

R.S.

Abhishek
 9/3/26
 खान अधिकारी,
 कुशीनगर।



कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), कुशीनगर।

सख्या मेन्ने / खनन / 2025-2026

दिनांक 8 मार्च 2026

(नोटिस)

को I DM Jashu Yadav
vill - Doria
Tola - Burilapur
Taluk - Padrauna

माओ एन0जी0टी0 नई दिल्ली में घोषित अधिसूचना संख्या-271 / 2025 तिथि 22/12/2025 के अन्तर्गत उक्त पदस्थान नियुक्ति के संबंध में जारी की गई दिनांक-22/12/2025 के दिने की निर्देश के क्रम में भद्रदा संचालन सम्बन्धी सम्पन्न अधिसूचना दिनांक - 9/3/26 तक कार्यालय जिलाधिकारी (खनन विभाग) कुशीनगर में प्रस्तुत करें। यदि उक्त अधिसूचना निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो वह माना जाएगा कि आपके पास उक्त अधिसूचना उपलब्ध नहीं है। बिना सक्षम स्तर से अनुमति अथवा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सम्पन्न किये हुए भद्रदा का संचालन किया जाता है एवं माओ एन0जी0टी0 एवं माओ उक्त न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी।

दिनांक 8/3/26



Handwritten signature and text: Kishor Kumar Yadav, Tahasil & Collectonata, Kushinagar.

जाँच आख्या

जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक-07.03.2026 के अनुपालन में उपजिलाधिकारी पडरौना की अध्यक्षता में पुलिस क्षेत्राधिकारी पडरौना, क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर एवं खान अधिकारी कुशीनगर की गठित कमेटी द्वारा मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बंदी आदेश के क्रम में दिनांक-12.03.2026 एवं 13.03.2026 को तहसील पडरौना में संचालित निम्नलिखित ईट भट्टों की संयुक्त जांच की गयी-

- 1-एस०एन०जी० ईट उधोग, महारानी, तहसील पडरौना
- 2-भारत ईट उधोग, अमवा बुजुर्ग तहसील पडरौना
- 3-इण्डिया ईट उधोग, रसूलपुर, तहसील पडरौना
- 4-माँ चम्पा इण्टर प्राईजेज, ग्राम गांगरानी होरलापुर, तहसील पडरौना
- 5-जे०डी०एम० ईट उधोग, देवरिया टोला होरलापुर, तहसील पडरौना

जांच के दौरान ईट भट्टे संचालित पाये गये। मौके पर प्रतिनिधि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टो का संचालन बन्द कराया गया। जांच में सहयोग एवं कानून व्यवस्था हेतु प्रशासन उपस्थित रहा।

संलग्नक-1-स्पॉट मेमो।

2-फोटोग्राफ।

Abhinav

खान अधिकारी
कुशीनगर।

For Nitish Kumar (SE UPPCB)
16/03/2026

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर।

blue
पुलिस क्षेत्राधिकारी
पडरौना।

[Signature]
उप जिलाधिकारी
पडरौना।



जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक-07.03.2026 के अनुपालन में उपजिलाधिकारी कसया की अध्यक्षता में पुलिस क्षेत्राधिकारी पडरौना, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर एवं खान अधिकारी कुशीनगर की गठित कमेटी द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बंदी आदेश के क्रम में दिनांक-14.03.2026 को तहसील कसया में संचालित निम्नलिखित ईट भट्ठा की संयुक्त जांच की गयी-

1-श्रीराम सिंह एच0यू0एफ0, सिंगहा, तहसील कसया।

जांच के दौरान ईट भट्ठे संचालित पाये गये। मौके पर प्रतिनिधि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर द्वारा ईट भट्ठो का संचालन बन्द कराया गया। जांच में सहयोग एवं कानून व्यवस्था हेतु प्रशासन उपस्थित रहा।

संलग्नक-1-स्पॉट मेमो।

2-फोटोग्राफ।


खान अधिकारी
कुशीनगर।


16/03/2026
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर।


16.03.26
पुलिस क्षेत्राधिकारी
पडरौना।


उप जिलाधिकारी 3.2.6
कसया।



स्पॉट मेमो
कार्यवाही दिनांक:-

①

मेसर्स एस एन जी ईट उद्योग, नगर, महाराष्ट्र को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या-एच.32153/वृ.ब-6/ए.ए.ए.०-840/बिंदी ओ०ए०/२५ को उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग एवं उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गई है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं मौके पर उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि गंगा गुप्ता को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्ठा प्राधिकारी
गंगा गुप्ता

Nitesh Kumar
13/03/2026
JE, UPPCB

Abhishek
13/3/26
ब्यान अधिकारी

13/3/2026
[Signature]

सा. लक्ष्मीनारायण पटेल

उपेन्द्र शर्मा



स्पॉट मेमो
कार्यवाही दिनांक:-

मेसर्स. श्री चक्रा इन्टरप्राइजेज (पूर्व नाम ट्रेडिजो इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.) ग्राम गंगारानी, हीरपुर, पश्चिम बंगाल को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या-H.3250.5 वृत्त-6 ईट भट्ठा -8.69/काठको उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग एवं उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गई है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं मौके पर उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री इन्देव सिंह, प्रोप्राइटर को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

इन्देव सिंह

Nitesh Kumar
13/03/26
JE, UP&B

Abhishek
13/3/26
जान अधिकारी

[Signature]
13/3/2024
NFP

जा तहसीलदार पदराना



स्पॉट मेमो
कार्यवाही दिनांक:-

3

मेसर्स आरत ईट उद्योग, अजय कुमार गुप्ता, कुबेरसमान, पडरौना, कुशीनगर
नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश
संख्या-1163446/सी-6/आ०632/ईट उद्योग/कृषि क्षेत्र/कुशीनगर/2025 को उक्त ईट भट्ठे का जिला
प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग एवं उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण
किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ०प्र०
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गई है।
मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं मौके पर उपस्थित ईट भट्ठा
प्रतिनिधि श्री दत्त शंकर सिंह, सुरी को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति
(जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्ठा सुन्धी
पदाधिकारी

Natish Kumar
13/03/2026
JE, UPSCB

Abhi Lax
13/3/26
खान अाधिकारी

13/3/2026

ना. तहसीलदार
पडरौना



सॉर्ट मेमो
कार्यवाही दिनांक:-

मेसर्स वी.एम. सिंह एच.यू.एफ.० सिंगहा को मा० एन०जी०टी० चे० कुवैरस्थान कसबा नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-248/2025 अमित मद्धेशिया बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या-एच० 32198/वृत्त-6/सं० 865/बन्दी आदेश को उक्त ईट भट्टे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग एवं उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्टा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गई है। मौके पर ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं मौके पर उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि राजेश सिंह को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्टा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

राजेश सिंह Singh

Nikhil Kumar
14/03/2026
JE, UP&B

Abhi K
14/3/26
ज्वायन अधिकारी

मंगोपकृष्ण
संगठक

गान्धर्व कुमार
संगठक

DS
TII

तहसीलदार कसबा



स्पॉट मेमो
कार्यवाही दिनांक:-

5

मेसर्स जे.डी.एस. ईट उद्योग, ग्राज देवत्रिगा टोल, बोरिंगको, पडरीना, उरुशिकार मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 एवं उ0प्र0 राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या-स्प.63446/सि-6/सू-633/ईट/उ०/बरी जिला/उ०प्र०/2025 को उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गई है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं मौके पर उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री विवेक सिन्हा को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

विपकृतिकारी

Nitesh kumar
13/03/2026
JE, UPPCO

Abhishek
13/3/26
खान अधिकारी

13/3/26
NPP

नायक लक्ष्मीनारायण
भट्टेना



स्पॉट मेमो
कार्यवाही दिनांक:-

मेसर्स राजिया ईट उद्योग, आ. स्थूलपु. (पो.) को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या-H.33.199/बन्दी-6/ई०प्र०-839/बन्दी आदेश/ओ.०/20.25, को उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग एवं उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गई है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं मौके पर उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि राजेन्द्र (मुंबी) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जम्ही बुर्गाना - पुरौना
कुरांगर

ईट भट्ठा प्रतिनिधि
राजेन्द्र (मुंबी)
9450475765

Abhik
12/3/26

खान अधिकारी

12/3/26



नोट :- उक्त प्रकरण में सम्बन्धित थाना-रवि-इनगर को निर्देशित करने की कृपा करें। जिससे की उक्त ईट भट्ठा का संचालन न हो सके।

मे० नं० चरपा इंफरमेशन
 बताना - गांगरगी, पोस्ट दोरनापुर, तहसील पदराना

पूर्व में भी दिनांक- 8/3/26 को नोटिस दिये जाने पर आपके द्वारा कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया था न ही आज उपलब्ध कराया गया। मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 के अनुपालन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या-432505 वत-6/11/25 दिनांक- 0/9/25 के क्रम में बिना सक्षम अनुमति के भट्ठा संचालन एवं मा० एन०जी०टी० के मानको में उपलब्ध दिशा/निर्देशों के उल्लंघन में आज आपका भट्ठा संचालन बन्द कराया गया।

इन्दुल सिंह



Abhilash
 13/3/26
 ध्यान अधिकारी

मे० इण्डिया टि उद्योग
 बंता- रसूलपुर चौक पकी
 कुजुर्गा त. पुराना

पूर्व में भी दिनांक- 8/3/26 को नोटिस दिये जाने पर आपके द्वारा कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया था न ही आज उपलब्ध कराया गया। मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 के अनुपालन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या-1432199/वृत्त-6/विद्य-839 दिनांक- 11/4/25 के क्रम में बिना सक्षम अनुमति के भट्ठा संचालन एवं मा० एन०जी०टी० के मानको में उपलब्ध दिशा/निर्देशों के उल्लंघन में आज आपका भट्ठा संचालन बन्द कराया गया।



जमालुद्दीन

Abhilek
 12/3/26
 ध्यान अधिकारी

मे०. Bharat Int. Wdg.
 Vill - Amwan Bujurg.
 Post - Kuber Asthan Padrauna

पूर्व में भी दिनांक- 8/3/26 को नोटिस दिये जाने पर आपके द्वारा कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया था न ही आज उपलब्ध कराया गया। मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 के अनुपालन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या-163446/सी-6/सा० 632 दिनांक- 15/7/21 के क्रम में बिना सक्षम अनुमति के भट्ठा संचालन एवं मा० एन०जी०टी० के मानको में उपलब्ध दिशा/निर्देशों के उल्लंघन में आज आपका भट्ठा संचालन बन्द कराया गया।

प्रादेशिक अधिकारी



Abhinav
 13/3/26
 ध्यान अधिकारी

मे० रमेश प्रसाद जी० ई० उद्योग,
ग्राम बहरानी, पोस्ट छबिरसमान,
तहसील पडरौना,
बुधौजगर

पूर्व में भी दिनांक- 03/2026 को नोटिस दिये जाने पर आपके द्वारा कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया था न ही आज उपलब्ध कराया गया। मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 के अनुपालन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या-1152153/एच-6/ई०ए० 840/दिनांक-21/09/25 के क्रम में बिना सक्षम अनुमति के भट्ठा संचालन एवं मा० एन०जी०टी० के मानको में उपलब्ध दिशा/निर्देशों के उल्लंघन में आज आपका भट्ठा संचालन बन्द कराया गया।

ई० भद्रा प्रतीभेदी
जगाडुटा



Abhik
13/3/26

श्री राम सिंह एच. यू. एफ.
 सिंगहा कुवेरस्थान
 कमया

पूवं में भी दिनांक- 9/3/26 को नोटिस दिये जाने पर आपके द्वारा कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया था न ही आज उपलब्ध कराया गया। मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में याजित ओ०ए० संख्या-248/2025 अमित मद्धेशिया बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 के अनुपालन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या-एच 32198/12/6/अ. दिनांक- 19/25 के क्रम में बिना सक्षम अनुमति के भट्ठा संचालन एवं मा० एन०जी०टी० के मानको में उपलब्ध दिशा/निर्देशों के उल्लंघन में आज आपका भट्ठा संचालन बन्द कराया गया।

Singh



Abhiram
 12/3/26
 ध्यान अधिकारी

मे० J.D.M. Int udyog
 Vill - Deoria
 Tola - Kaxilapur
 Tehsil - Pachkura

पूर्व में भी दिनांक- 8/3/26 को नोटिस दिये जाने पर आपके द्वारा कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया था न ही आज उपलब्ध कराया गया। मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 के अनुपालन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बन्दी आदेश संख्या-63446/सी-6/स्प०-632 दिनांक-15/7/21 के क्रम में बिना सक्षम अनुमति के भट्ठा संचालन एवं मा० एन०जी०टी० के मानको में उपलब्ध दिशा/निर्देशों के उल्लंघन में आज आपका भट्ठा संचालन बन्द कराया गया।

विवेक तिवारी



Abhitek
 13/3/26
 खान आधिकारी



महारानी, उत्तर प्रदेश, भारत

R2cf+frj, महारानी, उत्तर प्रदेश 274309, भारत

Lat 26.823558° Long 84.025506°

शुक्रवार, 13/03/2026 02:07 PM GMT +05:30



GPS Map O

Google




GPS Map C

Tadwa, Uttar Pradesh, भारत

Rxmq+9w6 बरम बाबा स्थान, Tadwa, Uttar Pradesh 274309, भारत

Lat 26.834638° Long 83.988157°

शुक्रवार, 13/03/2026 05:49 PM GMT +05:30






महारानी, उत्तर प्रदेश, भारत



R2cf+frj, महारानी, उत्तर प्रदेश 274309, भारत

Lat 26.823537° Long 84.025556°

शुक्रवार, 13/03/2026 02:06 PM GMT +05:30



Tadwa, Uttar Pradesh, भारत

Rxmq+9w6 बरम बाबा स्थान, Tadwa, Uttar Pradesh 274309,

Lat 26.834637° Long 83.988156°

शुक्रवार, 13/03/2026 05:49 PM GMT +05:30




गंग्रानी, उत्तर प्रदेश, भारत

नेशनल हाइवे 730, गंग्रानी, उत्तर प्रदेश 274303, भारत

Lat 26.834558° Long 84.017733°

शुक्रवार, 13/03/2026 04:58 PM GMT +05:30



गंगानी, उत्तर प्रदेश, भारत 🇮🇳

नेशनल हाइवे 730, गंगानी, उत्तर प्रदेश 274303, भारत

Lat 26.834558° Long 84.017733°

शुक्रवार, 13/03/2026 04:58 PM GMT +05:30



गंग्रानी, उत्तर प्रदेश, भारत

नेशनल हाइवे 730, गंग्रानी, उत्तर प्रदेश 274303, भारत

Lat 26.834556° Long 84.017723°

शुक्रवार, 13/03/2026 04:58 PM GMT +05:30



GPS Map C



GPS Map Camera



Tetaria, Uttar Pradesh, भारत



Q2rj+vhh, Bujurg, Near Amvan, Tetaria, Uttar Pradesh 274303, भारत

Lat 26.791817° Long 84.033172°

शुक्रवार, 13/03/2026 04:04 PM GMT +05:30

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), कुशीनगर।

संख्या: 362/खनन/2025-2026

दिनांक 16 मार्च, 2026

प्रभारी निरीक्षक,
थाना-पडरौना, रविन्द्रनगर,
कुबेरस्थान।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.12.2025 एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बंदी आदेश के क्रम में जनपद में संचालित निम्न ईट भट्ठों को बन्द करा दिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 1-एस०एन०जी० ईट उधोग, महारानी
- 2-भारत ईट उधोग, अमवा बुजुर्ग
- 3-इण्डिया ईट उधोग, रसूलपुर
- 4-माँ चम्पा इण्टर प्राईजेज, ग्राम गांगरानी होरलापुर
- 5-जे०डी०एम० ईट उधोग, देवरिया टोला होरलापुर
- 6-श्रीराम सिंह एच०यू०एफ०, सिंगहा

उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ईट भट्ठे इस कार्यालय के अग्रिम आदेशो तक संचालित न हो पाये।
संलग्नक-स्पॉट मेमो।

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

संख्या: 362/दिनांकित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

